

गैरसायल तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर  
राजस्व प्रकरण संख्या 101/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल  
राजस्थान सरकार जरिये बनाम  
पटवारी हल्का चेतवड़ी

गैरसायल  
श्री. साना पुत्र चिनेशर  
जाति बुजालमान निवासी मेहरानियों की बस्ती  
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।


### निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चेतवड़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम मेहरानियों की बस्ती के खसरा नम्बर 1252 रकबा 44.05 बीघा में से 11 बीघा किस्म अ-ग राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के चुनवाई हेतु तलब किया गया।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पच्चास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गडरारोड को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 05.11.19 को सरेआम सुनाया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड

50  
जुमाना 8257 फसल नि. 8257  
कुल योग 8257 जि.के पृष्ठ सं. 190  
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

  
तहसील रजिस्टर लेखाकार